भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1532

मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट-अप की स्थापना

1532. श्री नारायण तातू राणेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और गोवा के रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित स्टार्ट-अप की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) उक्त स्टार्ट-अप कंपनियों द्वारा अब तक जुटाई गई कुल निधि कितनी है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए नियामक व्यवस्था को सरल बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा महाराष्ट्र और गोवा में स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के दो जिलों - रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से मिलकर बना है। पिछले तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 2022, 2023 और 2024 में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों से क्रमशः कुल 45 और 28 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। गोवा राज्य से, पिछले तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 2022, 2023 और 2024 में डीपीआईआईटी द्वारा 330 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

(ख): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ) कार्यक्रम को कार्यान्वित करती है। यह एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जो स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल ईकोसिस्टम बनाने हेतु प्रतिभागी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के

प्रयासों का मूल्यांकन करता है। इस कार्यक्रम में जिला कवरेज, और जमीनी स्तर तथा ग्रामीण प्रभाव जैसे पहलुओं का मूल्यांकन भी शामिल है। एसआरएफ कार्यक्रम के नवीनतम संस्करण में, महाराष्ट्र राज्य (जिसमें रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल हैं) को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता और गोवा राज्य को अग्रणी राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

(ग): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में विभिन्न स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जैसे स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस)।

एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया है और यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करती है, जो आगे स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। एफएफएस के अंतर्गत सहायता प्राप्त एआईएफ को, एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि की कम से कम दुगुनी राशि स्टार्टअप्स में निवेश करनी होती है। महाराष्ट्र राज्य से, इस स्कीम के तहत चयनित एआईएफ ने 30 जून, 2025 की स्थिति के अनुसार, 265 स्टार्टअप्स में 5,605.86 करोड़ रुपए का निवेश किया है। गोवा राज्य से, इस स्कीम के तहत चयनित एआईएफ ने 30 जून, 2025 की स्थिति के अनुसार, 2 स्टार्टअप्स में 124.39 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

एसआईएसएफएस, इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से आरंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महाराष्ट्र राज्य से, चयनित इन्क्यूबेटर्स ने 30 जून, 2025 की स्थिति के अनुसार, 511 स्टार्टअप्स को 95.62 करोड़ रुपए की निधि अनुमोदित की है। गोवा राज्य से, चयनित इन्क्यूबेटर्स ने 30 जून, 2025 की स्थिति के अनुसार, 21 स्टार्टअप्स को 2.79 करोड़ रुपए की निधि अनुमोदित की है।

सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को बंधक रहित ऋण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। सीजीएसएस राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित है और 1 अप्रैल, 2023 से प्रचालन में है। महाराष्ट्र राज्य से, 30 जून, 2025 की स्थिति के अनुसार स्टार्टअप्स को 145.81 करोड़ रुपए के कुल 67 ऋणों की गारंटी दी गई है।

(घ): स्टार्टअप्स द्वारा अर्जित लाभ के संबंध में जानकारी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ङ): सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए विनियामक व्यवस्था को आसान बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें व्यवसाय शुरू करना, पूंजी जुटाना तथा अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है। इन पहलों के मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

i. आवेदन, नवीकरण, निरीक्षण, फाइलिंग रिकॉर्ड आदि से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाना,
ii. अनावश्यक कानूनों को निरस्त, संशोधित या समाहित करके युक्तिसंगत बनाना,
iii. ऑनलाइन इंटरफेस बनाकर डिजिटलीकरण करना, जिससे मैनुअल फॉर्म और रिकॉर्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाए,
iv. गौण प्रकृति के तकनीकी और प्रक्रियागत चूकों का गैर-अपराधीकरण।

विशेष रूप से स्टार्टअप ईकोसिस्टम के लिए, सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए 60 से अधिक उपाय किए हैं। इन उपायों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-lएसी के तहत लाभ-संबद्ध कटौती, अनुपालन में छूट, घाटे को आगे ले जाना, इन-बाउंड विलय के लिए त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया, तेजी से बाहर निकलने का प्रावधान, सार्वजनिक खरीद में छूट आदि शामिल हैं।

(च): स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत, सरकार, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों सहित स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अन्य कदम उठा रही है। इन कदमों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह जैसे आवधिक कार्य और कार्यक्रम शामिल हैं, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम आधारित पहलों को भी प्रोत्साहित और सहायता प्रदान करती है, जो हितधारकों के लिए नेटवर्क और सहयोग हेतु एक वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती हैं। बाजार पहुंच में सुधार लाने और सार्वजनिक खरीद हेतु सक्षम बनाने संबंधी पहलें भी शुरू की गई हैं, जो स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में वृद्धि और स्केलिंग-अप करने में सहायता प्रदान करती हैं। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और भास्कर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, संसाधनों तक आसान पहुंच और स्टार्टअप ईकोसिस्टम से सहयोग प्राप्त करना संभव बनाते हैं।

स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे सुदृढ़ करने के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र और गोवा में विभिन्न कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इनमें स्टार्टअप20 गोवा संकल्पना, महाराष्ट्र और गोवा में 'स्टार्टअप्स के पक्ष में महिलाएं' विषय पर कार्यशाला, गोवा में वैश्विक उद्यम पूंजी शिखर सम्मेलन और महाराष्ट्र के 16 जिलों में आयोजित स्टार्टअप इंडिया यात्रा शामिल हैं।

*****